

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प

ही. श्रीमान

क्रमांक: राजस्व/2021/

96/2021

दिनांक : / /2021

आदेश

आवेदक श्री..... ने
तहसील कोटखावदा में ग्राम बददी पुत्र कालू हि. 1/2, बददी लाल पुत्र कालू हि. 1/8 स्थित आराजी
ख.न..... रकबा श्री सम्यतपुरा के संबंध में जमाबन्दी
सम्बत् 2076-79 के खाता संख्या 35 पर अंकित प्रविष्टि
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम
श्री सम्यतपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 35 की प्रविष्टि के
स्थान पर बददी नारायण पुत्र कालू हि. 5/8
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
पटवारी हल्का ही. श्रीमान की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री बददी पुत्र कालू हि. 1/2, बददी लाल पुत्र
श्री कालू हि. 1/8 कुल 5/8 जाति श्रीमान निवासी श्री सम्यतपुरा
तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत् 2076-79
के खाता संख्या 35 में अंकित प्रविष्टि बददी पुत्र कालू 1/2
बददी पुत्र कालू 1/8 के स्थान पर बददी नारायण पुत्र कालू हि. 5/8
किए जाने की
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू (जयपुर) जयपुर

दिनांक : / /2021

क्रमांक: राजस्व/2021/

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार कोटखावदा
2. पटवारी हल्का ही. श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर) जयपुर